संख्या:1:05:138:II:सीएस

दिनांक: 11.09.2018

National Stock Exchange of India Limited, **Listing Department,** **Exchange Plaza,** **Bandra – Kurla Complex,** **Bandra (E)** **MUMBAI** – 400 051. नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	**Bombay Stock Exchange Limited,** **Department of Corporate Services,** **Floor** – 25, **PJ Towers,** **Dalal Street,** **MUMBAI** – 400 001. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, 25वीं मंजिल, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001

विषय : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 32वीं एजीएम की कार्यवाहियां

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीयन की बाध्यताएं और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में, इसके साथ आज अर्थात 11 सितंबर, 2018 को आयोजित कंपनी की 32वीं एजीएम की कार्यवाहियां संलग्न हैं।

आपके सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)

कंपनी सचिव

mb@pfcindia.com

<u>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड</u>
<u>नई दिल्ली</u>

तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डेन, नई दिल्ली - 110004 में मंगलवार, 11 सितंबर, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 11.20 बजे के दौरान आयोजित 32वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाहियां

I. कंपनी सचिव ने शेयरधारकों एवं लेखा परीक्षकों का स्वागत किया तथा शेयरधारकों से सीएमडी एवं निदेशकों का परिचय कराया।

II. अध्यक्ष ने शेयरधारकों एवं निदेशकों को संबोधित किया।

III. कंपनी सचिव ने अध्यक्ष को कोरम के मौजूद होने की पुष्टि की, जिन्होंने घोषित किया कि बैठक नियमानुसार है।

IV. कंपनी सचिव ने नोटिस, निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और निदेशक मंडल द्वारा अपनी रिपोर्ट में उन पर प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों / टिप्पणियों को पढकर सुनाया।

V. कंपनी सचिव ने शेयरधारकों को सूचित किया कि सूचीयन के विनियमों तथा कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने सदस्यों को अंतिम तारीख अर्थात 03 सितंबर, 2018 के रूप में 3 दिन की अवधि के लिए 08 सितंबर, 2018 से 10 सितंबर, 2018 तक ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की थी ताकि वे एजीएम के नोटिस दिनांक 03 अगस्त, 2018 में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रानिक रूप में अपना वोट डाल सकें। ई-वोटिंग और भौतिक वोटिंग प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ श्री सचिन अग्रवाल, अभ्यासी कंपनी सचिव को स्क्रूटनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया था।

यह भी सूचित किया कि जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रानिक रूप में अपना वोट डाला है उनको बैठक में फिर से वोट डालने की आवश्यकता नहीं है।

VI. अध्यक्ष ने इस एजीएम के नोटिस दिनांक 03 अगस्त, 2018 में वर्णित व्यवसाय पर प्रस्तावित संकल्पों के उद्देश्य एवं प्रभावों के बारे में बताया।

VII. कंपनी सचिव ने कहा कि जैसा कि समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 31 अगस्त, 2018 के माध्यम से पहले सूचित किया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और इसके तहत अधिसूचित नियमावली के अनुपालन में श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन – 03548218) से नोटिस दिनांक 27 अगस्त, 2018 प्राप्त किया है जिसमें उन्होंने कंपनी के निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पर

विचार करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में श्री प्रवीण कुमार सिंह की उपर्युक्त नियुक्ति के प्रस्ताव को रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने से पूर्व उसमें शामिल किया गया ताकि सदस्य इलेक्ट्रानिक रूप में वोट डाल सकें और एजीएम में भौतिक वोटिंग में भी शामिल किया गया।

VIII. इसके बाद, जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रानिक रूप में वोट नहीं डाला था उनसे सभी संकल्पों को पढकर सुनाए जाने बाद उपलब्ध कराए गए पोलिंग पेपर पर अपना वोट डालने और उसे ऑडिटोरियम में रखे गए बैलट बॉक्स में ड्राप करने का अनुरोध किया गया।

IX. सूचित किया गया कि ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ पोलिंग प्रक्रिया के परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर तब डाले जाएंगे जब वे स्क्रूटनाइज़र, श्री सचिन अग्रवाल, अभ्यासी कंपनी सचिव द्वारा वोटिंग की जांच की विधिवत प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो जाएंगे।

X. बैठक में कार्य की निम्नलिखित मदों से संबंधित संकल्पों पर विचार किया गया :

<u>साधारण कार्य</u>

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों, उस पर निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना एवं स्वीकार करना।

2. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल लाभांश के रूप में अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना।

3. श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (डीआईएन : 02271398) जो रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया है, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।

4. सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

<u>विशेष कार्य</u>

5. श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष (डीआईएन : 07970522) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

6. भारत में और/या भारत के बाहर निजी नियोजन के आधार पर बॉण्ड/ डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से वर्तमान एजीएम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान 65,000 करोड रुपए तक की निधियां जुटाना।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाई गई नियमावली और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 582 (ई), दिनांक 13 जून, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 - 232 के तहत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) के साथ पीएफसी ग्रीन एनर्जी

लिमिटेड (अंतरक कंपनी) और उसके शेयरधारकों एवं ऋणदाताओं के विलय के लिए व्यवस्था की योजना को अनुमोदित करना।

8. श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन : 03548218) को कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त करना।

XI. अध्यक्ष ने कंपनी के संकल्पों और सामान्य कामकाज पर टिप्पणियां आमंत्रित की और उनका जवाब दिया।

XII. शेयरधारकों ने संकल्पों पर अपना वोट डाला और बैलट पेपर को बैलट बॉक्स में ड्राप किया।

XIII. कंपनी सचिव ने अध्यक्ष को धन्यवाद देने का प्रस्ताव किया।

XIV. इसके बाद अध्यक्ष ने बैठक के समाप्त होने की घोषणा की।

***